श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीपी० पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार, सुपर बाजार, दिल्ली में कर्मकारों की संख्या 2236 थी । कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और अधिनियम के अन्तर्गत योजनायें 1-7-67 से सुपर बाजार, दिल्ली पर लागू की गई थी । अधिकारियों को छोड़ कर जो सामान्य भविष्य निधि के अन्तर्गत आते हैं) । सभी कर्मकारों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होता है । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रेणी वार, कर्मचारियों की सूची नहीं रखता है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

खान और खेतिहर मजदूरों के लिए मजदूरी

836. **श्री भिखाभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में खान और खेतिहर मजदूरों की पृथक-पृथक जिले-वार संख्या कितनी है;

(ख) दोनों श्रेणी के मजदूरों के लिये पृथक-पृथक कितनी मजदूरी निर्धारित की गयी है ;

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ;

(घ) किस तारीख को इनकी मजदूरी में संशोधन किया गया था ;

(ङ) क्या इनकी मजदूरी में पुनः संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० संगमा) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार गुजरात राज्य में 32 लाख कृषि श्रमिक तथा 59,000 खान श्रमिक एवं महाराष्ट्र राज्य में 83 लाख कृषि श्रमिक तथा 115,000 खान श्रमिक है ।

(ख) से (च) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार अपने-अपने क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं संशोधन के लिये समुचित सरकार हैं । कृषि क्षेत्र के अनुसूचित नियोजन मुख्यतः राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं जबकि खानों में अनुसूचित नियोजन मुख्यतः केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं । न्यूनतम मजदूरी पाने वाले कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी गुजरात राज्य के कृषि श्रमिकों के लिये 15/- रु० प्रतिदिन तथा महाराष्ट्र राज्य के लिये 20/- रु० से 29/- रु० प्रतिदिन के बीच निर्धारित की गई है । पिछली बार गुजरात राज्य में 1-8-90 को तथा महाराष्ट्र राज्य में 29-6-1994 को मजदूरियों में संशोधन किये गये थे । खान क्षेत्र में भूमि के ऊपर तथा भूमि के अन्दर काम कर रहे न्यूनतम मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रमिकों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 28.00 रु०तथा 34.00 रु० है । इन मजदूरी दरों को केन्द्र सरकार ने पिछली बार दिनांक 12-7-1994 को संशोधित किया था । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विहित न्यूनतम मजदूरियों को निर्धारित करने का कोई एक समान मानदंड नहीं है । तथापि, कैलोरी, वस्त्र, मकान किराया एवं ईंधन, बिजली आदि पर किये जाने वाले व्यय के बारे में भारतीय श्रम सम्मेलन (1957) द्वारा विहित मानकों को ध्यान में रखा जाता है ।

श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

837. **श्री आस मोहम्मद** :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :